

तारेपा दी ० अग्र २०४० / १५-७-२००३-१६। ३०। / २००४

प्रधान,

श्री शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय शास्त्रमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा १७। अनुभाग

लखांऊ: दिनांक: २६ मई २००४

विषय:- सेन्ट जेबियर्स स्कूल भालवीय नगर, गोण्डा को सी०बी०स्स०८० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के संबंध में।

महान् दृष्टि,

उपर्युक्त पिष्ठाय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपत रोटरी विधालय को सी०बी०स्स०८० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उस राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विधालय की पंजीकृत सौसाधारी का सम्पर्क सम्पर्क पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य लोगा।
- 3- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐपावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०सा०शिक्षा परिषद् द्वारा संघालित विधालयों में विभिन्न क्षाऊं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं ही जायेगी और यदि पूर्व में विधालय शास्त्रमिक शिक्षा परिषद् अथवा बौसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता केन्द्रीय शास्त्रमिक शिक्षा परिषद्/कौशिल फार ट्रिइंडिपन स्कूल राटीफिलेट इकाया मिनेशम नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष है उक्ता केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र०सा०शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

Dr. Pared Sarkar
Principal
St. Xavier's Senior Sec. School
(Pared Sarkar, Pantnagar-Gonda (U.P.))

Manager
St. Xavier's Senior Sec. School
(Pared Sarkar, Pantnagar-Gonda (U.P.))

-2-

- 5- संस्था इसके द्वारा कर्मचारियों को शाजकीय सहायता प्राप्त करना तथा उन्हें अनुमत्य देतना भानु तथा अन्य भारतीय लोगों द्वारा नहीं होना चाहिए।
- 6- कर्मचारियों की सेवा की बनाधी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त करना सामाजिक उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य देना निवृत्ति ला लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उन्हें उनका पालन करेंगी।
- 8- विधालय इस रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शास्त्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुग्रहोंदन के किंवा कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यही इसी समय वह पापा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूस पा शिधिला भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापरा ले लिया जायेगा।

महोदय,

सिंह प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव

पूर्वानुग्रहों का लिए अनिवार्य

- प्रतिलिपि निम्नलिखित निम्नानुग्रहों के सुधारनार्थे एवं आवधारण का अर्थात् दृष्टिकोणः
- 1- विद्या निदेशक उत्तरार प्रदेश लखनऊ।
2- मण्डलीय संघुपति विद्या निदेशक, फैजाबाद।
3- जिला विधालय निरीक्षक, गोण्डा।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उप्रोलखनऊ।
5- प्रबंधक, सेन्ट जैसिर्स स्कूल, मानवीय नगर गोण्डा।
6- गार्ड बुक।

आकाश से,

सिंह प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव